

PR 3400

SMV

7/21



16 MAY 2005

04DD 674830

विक्रय पत्र अंकन -31,14,645/-रुपये ।

जिस पर स्टाम्प अंकन-3,11,600/-रुपये का का इस प्रकार दिया है कि अंकन-1,25,000/-रुपये का रजिस्टर्ड इकरारनामा महायदाय तारीखी 11-03-2005 को दिया है तथा शेष अंकन-1,86,600/-रुपये का इस विक्रय पत्र में अदा किया गया है।

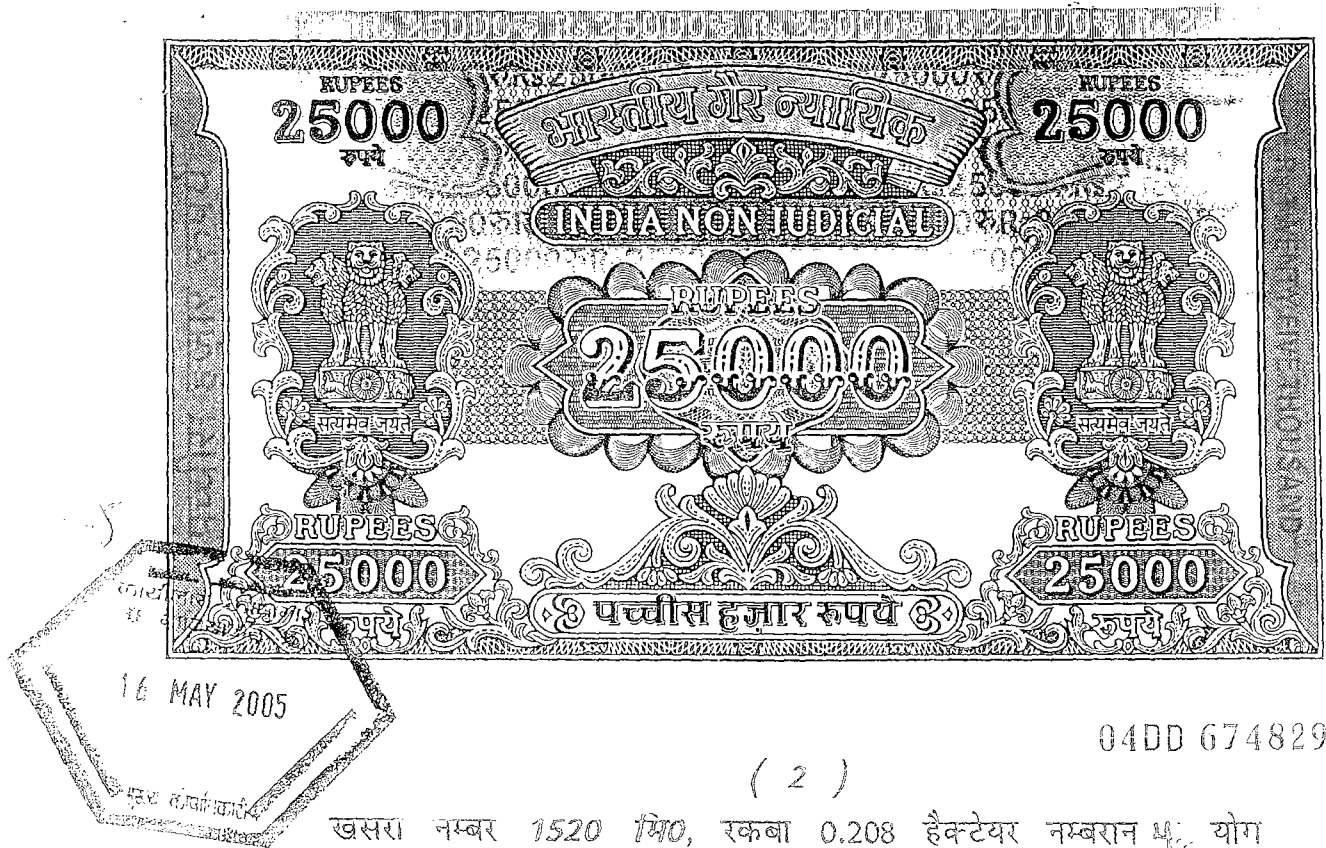
विक्रय भूमि का विवरण:- ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद में खाता संख्या 1344 खसरा नम्बर 1456 मि0, रकबा 0.139 हैक्टेयर व - - - - - खसरा नम्बर 1468 मि0, रकबा 0.051 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1516 मि0, रकबा 0.095 हैक्टेयर व

58

JK

Advocate
GZB





(2)

खसरा नम्बर 1520 मि०, रकबा 0.208 हैक्टेयर नम्बरान ५०, योग रकबाई ०.५५६ हैक्टेयर का 1/2 भाग रकबा ०.२५६ हैक्टेयर है जो प्रथम पक्ष का संपूर्ण भाग है विक्रय की जा रही है विक्रेता का नम्बर तथा रकबा उपरोक्त में कोई भाग शेष नहीं रहा है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Deomika Singh
Advocate
GZB





04DD 674828

(3)

विक्रय भूमि कृषि भूमि है कृषि हेतु विक्रय की जा रही है विक्रय भूमि के चारों ओर 200 मीटर से अधिक तक कृषि कार्य हो रहा है विक्रय भूमि मुख्य मार्ग से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है विक्रय भूमि ग्राम सभाज पट्टा व भूदान की नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति व जनजाति से नहीं है भारत का नागरिक है

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



04DD 674827

(4)

विक्रय भूमि के आस पास का भाव कम है। निर्धारित दर 15,20,000/- रुपये प्रति एकड़ यानि 9,50,000/- रुपये प्रति बीघा पुखा अर्थात् 37,56,124/- रुपये प्रति हेक्टेयर से विक्रय भूमि का मालियत 12,22,618.59/- रुपये होती है स्टाम्प ड्यूटी तयशुदा कीमत पर अदा की गयी है :

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

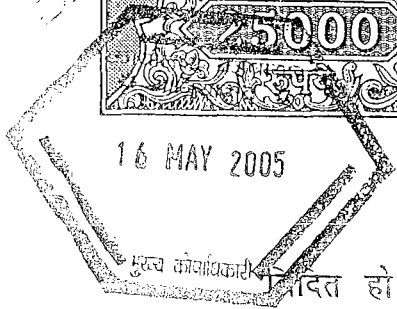


04DD 674826

(5)

कि श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री लखमी चन्द
निवासी-आर0-15/15 राजनगर गाजियाबाद तहसील व जिला
गाजियाबाद प्रथम पक्ष विक्रेता ।

एवं मैसर्स एस0 एम0 वी0 एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड 1862,
महालक्ष्मी मार्केट भगीरथ पैलेस चांदनी चौक दिल्ली-6 द्वारा श्री
जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री नेत्रपाल सिंह निवासी-ग्राम मकनपुर तहसील
व जिला गाजियाबाद द्वितीय पक्ष क्रेता ।



04DD 674825

(6)

प्रदत्त हो कि ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला
गाजियाबाद में खाता संख्या 1344 खसरा नम्बर 1456 मि०, रकबा
0.139 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1468 मि०, रकबा 0.051 हैक्टेयर व खसरा
नम्बर 1516 मि०, रकबा 0.095 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1520



13 MAY 2005

017089

(7)

मि०, रकबा 0.208 हैक्टेयर नम्बरान 44 योग रकबाई 0.493 हैक्टेयर का 1/2 भाग रकबा 0.2465 हैक्टेयर का प्रथम पक्ष विक्रेता मालिक काबिज संक्रमणीय भूमिधर है मुझ विक्रेता को विक्रय भूमि उक्त वर्णित को विक्रय करने का पूरा अधिकार प्राप्त है विक्रय भूमि आज तक हर प्रकार के बन्धकभार, सरकारी देनदारी, आड, बथ, रहन, महायदाबय, जमानत, लोन, बैंक लोन, सरकारी मतालबा,



13 MAY 2005

C17990

(8)

बाद विवाद से पाक साफ है किसी दूसरी जगह किसी तौर पर मुन्तकिल नहीं है विक्रय करने में अति लाभ है कीमत उचित मिल रही है अतः अब सुझ विक्रेता ने सालिम भूमि उपरोक्त को यानि अपने संपूर्ण भाग की भूमि रकबई ०.२५६५ हैक्टेयर को अपनी खुशी व राजामन्दी, श्रद्धा बुद्धि स्वस्थ इन्द्रियो से भय समस्त अधिकार

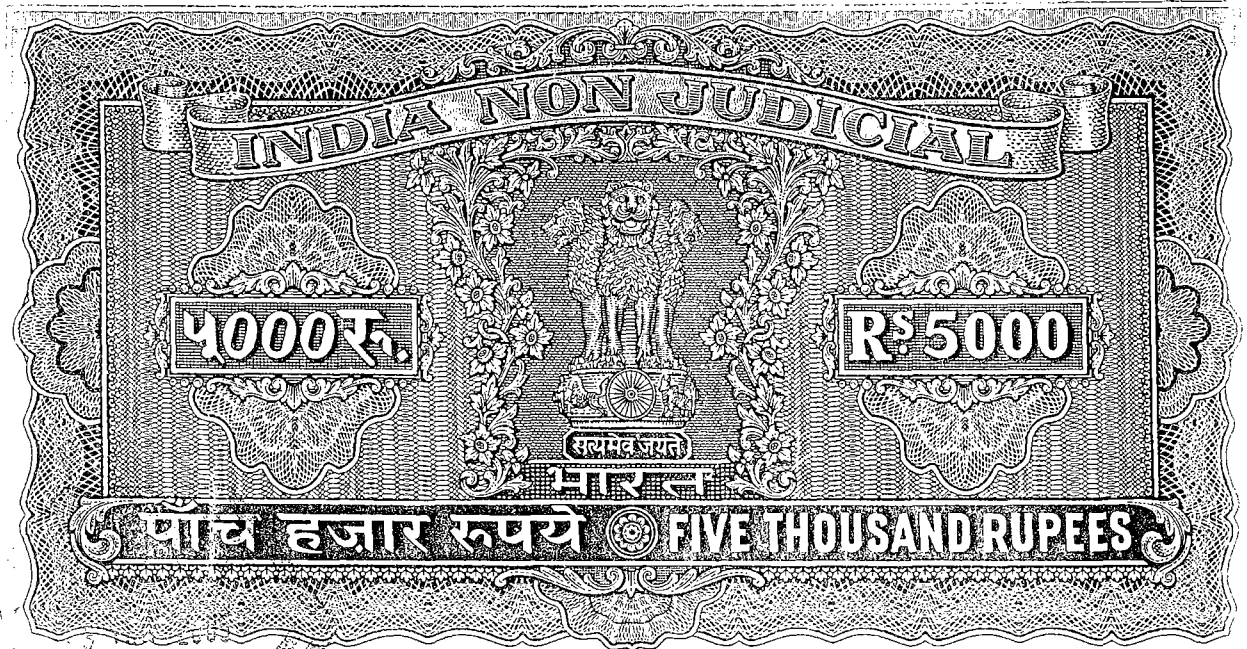


13 MAY 2005

017622

(9)

मालिकाना काबिजाना दाखिली खारिजी अधिकार काशत भराई हर किसमसय कब्जा गर्ज कि जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रय भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि-आदि को आज की तारीख से बदले अंकन 31,14,645/-रुपये (इकत्तीस लाख चौदह हजार छः सौ पैंतालीस रुपये) आधे जिसके 15,57,322.50/-रुपये होते हैं ये बहक द्वितीयपक्ष क्रेता उपरोक्त



017628

(10)

के जय कर्तई किया तथा जेच दिया कुल कीमत विक्रेता ने क्रेता से निम्नानुसार वसूल पा ली है कुछ बाकी नहीं रहा है कब्जा मौके पर क्रेता का करा दिया है क्रेता काश्त करे या विक्रय करे कुछ उजर नहीं होगा । राजपत्रों में विक्रय भूमि पर क्रेता का नाम दर्ज होगा नाम दर्ज होने में जहा कहीं भी विक्रेता के हस्ताक्षरों या

5000Rs.

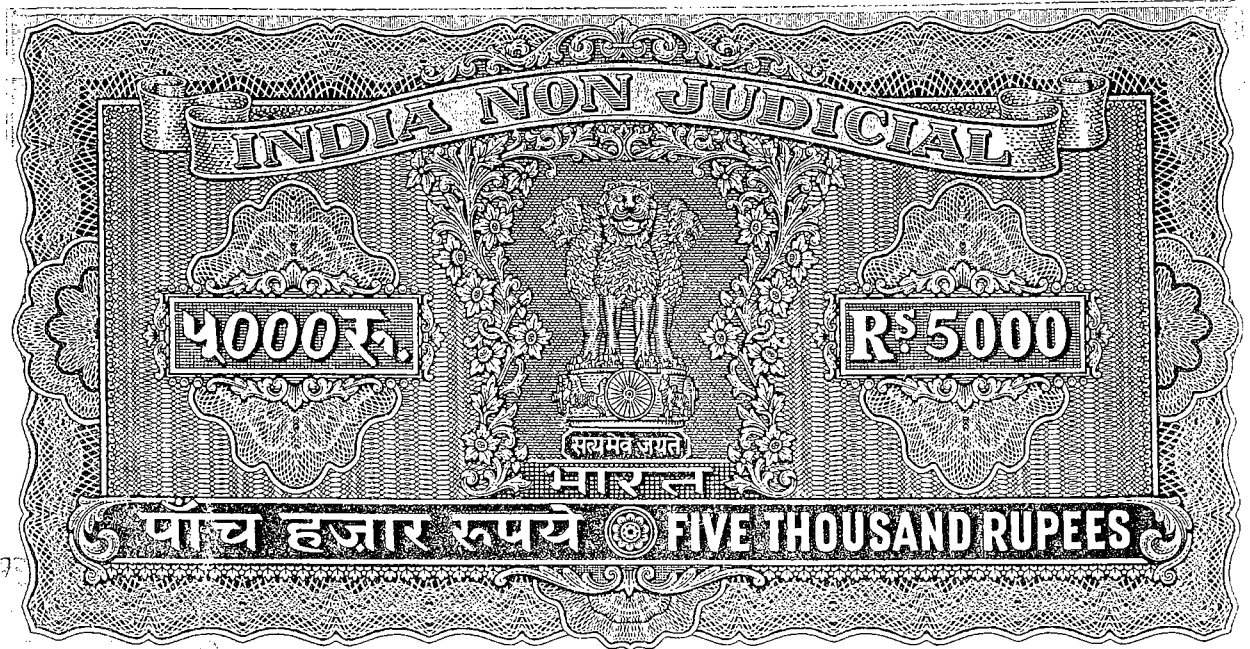


19 MAY 2005

017624

(11)

रजामन्दी की आवश्यकता पड़ी तो विक्रेता सहर्ष करेगा। गर्ज की आज से विक्रेता ने क्रेता को मालिक मुस्तकिल कर दिया अब विक्रेता व वारसान विक्रेता का कोई सम्बन्ध विक्रय भूमि तथा उसके जरे समन से नहीं रहा है न आइन्दा होगा। जो जो हकूक विक्रेता को विक्रय भूमि से प्राप्त थे वह इस विक्रय पत्र के द्वारा



13 MAR 2015

018622

(12)

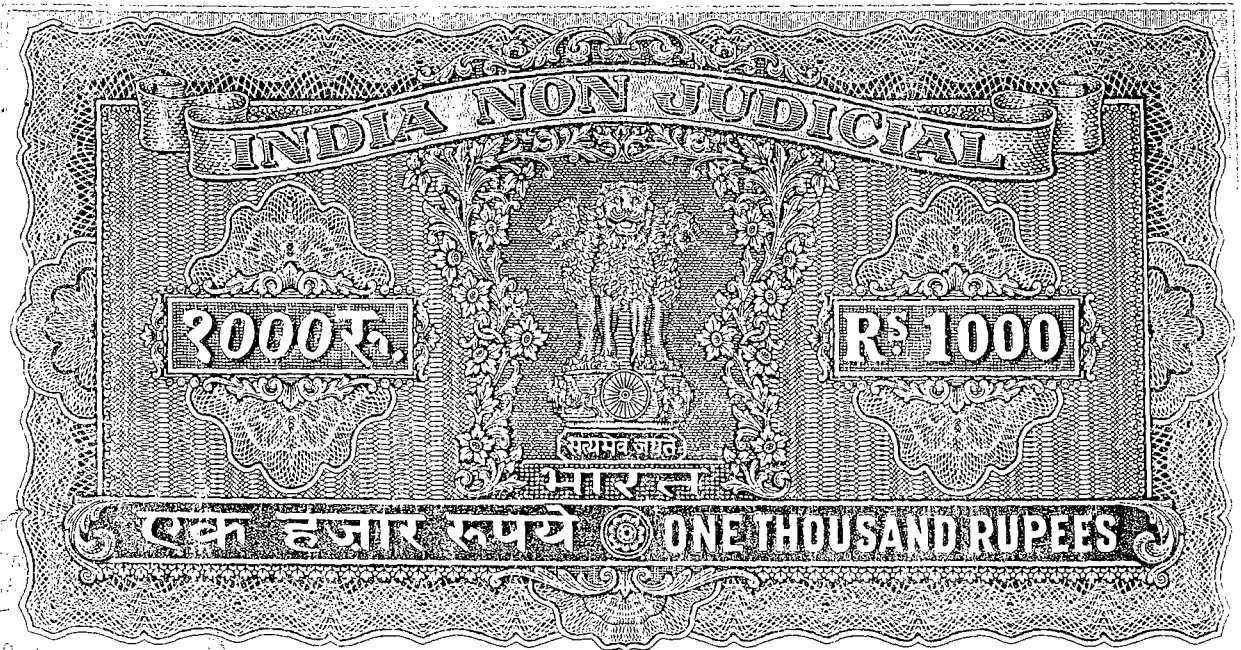
क्रेता के पक्ष में बय हो गये विक्रय भूमि का बैनामा विक्रेता व क्रेता के वर्णानुसार लिखा गया है विक्रेता व क्रेता ने पढ कर सुनकर व समझकर बैनामे पर हस्ताक्षर किये हैं अब इकरार यह है कि यदि विक्रय भूमि पर आज तक कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता को अपने पास से अदा करना पडा अथवा विक्रय भूमि विक्रेता के अनाधिकार की वजह से या विक्रेता के



018623

(13)

वारसान या किसी सहीम व शरीक की वजह से या किसी हुज्जत कानूनी या वाकालती की वजह से कब्जा कुल या जुज क्रेता से निकल जाये तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपने पास से अदा किये हुये जरे समन की धनराशि तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की कुल कीमत असल भय सूद भय हरजा खरचा सहित विक्रेता व वारसान विक्रेता से अदालत द्वारा वसूल कर ले।



489992

(14)

अदायगी के लिये विक्रेता व वारसान विक्रेता की जात खास व समस्त चल अवल सम्पत्ति पाबन्द रहेगी। विक्रय पत्र का समस्त व्यव क्रेता ने सहन किया है अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति



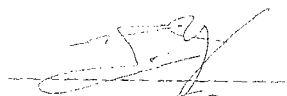
(15)

विवरण वसूलयाची:- कुल कीमत विक्रेता ने क्रेता से इस प्रकार वसूल पायी कि अंकन 3,11,000/-रूपये बजरिये रजिस्टर्ड इकरारनामा महायदाबय तारीखी 1-03-2005 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सबरजिस्ट्रार सारब प्रथम गाजियाबाद में बही नं0 1 जिल्द 5932 पृष्ठ 95/120 नम्बर 1326 पर दिनांक 11-03-2005 को दर्ज होकर हुई है के द्वारा वसूल पाये तथा अंकन-28,00,000/-रूपये बजरिये बैंक नम्बर 934701 दिनांक 13-05-2005 ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कार्मस शाखा फतेहपुरी चौदनी चौक दिल्ली का विक्रेता के



(16)

नाम से जारी है के द्वारा वसूल पाये तथा अंकन-3,645/-रुपये
नगद पेशगी वसूल पाये कुछ बाकी नहीं रहा है।


रामलाल

गवाह- रामलाल S. नरसिंह
राम शहापुत्र नरसिंह



गवाह- Gulish Mehmood
GULISH MEHMOOD TALGHANI
S/o. Sd. Dm. Prokari
II A/2-8 Mehmood Meja
C.B.


Advocate
Civil Court, GZB.



दिनांक- 16-05-2005 मसौदा

Tajendra Singh
Advocate
Civil Court, GZB.